न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1475–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–3–2013 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर प्रकरण कमांक 10/स्व–निगरानी/2012–13.

श्रीमती अंजुम पति सलीम
निवासी 41 ए, ग्रीनलैंड कॉलौनी, इन्दौर ..... आवेदिका

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा जिलाधीश
जिलाधीश कार्यालय, मोतीतबेला, इन्दौर
2– बाबूदास पिता गंगादास बैरागी (मृत) तर्फे वारिसान–
लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. बाबूदास बैरागी
निवासीगण ग्राम पिपल्याराव तहसील व जिला इन्दौर
3– मोहम्मद असलम पिता अब्दुल रजाक
निवासी 5, जवाहर मार्ग, इन्दौर .....अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदिका
श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री गौरव सक्सेना, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–3–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका श्रीमती अंजुम द्वारा अनावेदक कमांक 3 मोहम्मद असलम से ग्राम पिपल्याकुम्हार तहसील इन्दौर स्थित भूमि सर्वे कमांक

206 रकबा 0.116 पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की जाकर नामांतरण हेतु तहसीलदार, इन्दौर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 61/अ–6/2009–10 दर्ज किया जाकर दिनांक 7–6–2010 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 3 के स्थान पर आवेदिका का नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये । तत्पश्चात दिनांक 24–1–2013 को तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 206 श्रीखेडापति मंदिर, भूमि के व्यवस्थापक कलेक्टर, जिला इन्दौर के नाम दर्ज रही । मंदिर के पुजारी श्री बाबूदास द्वारा प्रश्नाधीन स्वत्व एवं आधिपत्य की घोषणा के लिए व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था । व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 98 ए/95 में पारित आदेश दिनांक 15–12–95 से आवेदक का वाद स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया गया है कि ''वादोक्त भूमियां वादी को श्रीराम मंदिर और खेडापति मंदिर की पूजा अर्चना किये जाने की शर्त के अधीन ईनाम में दी गई थी ऐसी स्थिति में वादोक्त भूमियों पर वादी के भूमिस्वामी स्वत्व उस समय तक रहेंगे, जब तक श्रीराम मंदिर, खेडापति मंदिर की पूजा अर्चना करता रहेगा ।'' उक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थिर रहा । इस प्रकार बाबूदास को श्रीराम मंदिर एवं खेडापति की पूजा अर्चना करते रहने तक भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हुआ था, परन्तु आवेदक बाबूदास बैरागी ने प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय कर दिया है, जिसका उन्हें अधिकार नहीं था । अतः प्रकरण क्रमांक 61/अ–6/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 7–6–2010 को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त किया जाना उचित होगा । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपर कलेक्टर, इन्दौर को प्रेषित किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/स्व–निगरानी/2012–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदिका की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 28–3–2013 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा ही आवेदिका का नामांतरण स्वीकृत किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार का आदेश अपीलीय आदेश है, और ऐसे आदेश के विरूद्ध केवल अपील ही पोषणीय है, परन्तु अपर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है, जिसका क्षेत्राधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है, अतः अपर कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही अधिकार बाह्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अपर कलेक्टर द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 2 के नाम प्रारंभ से भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रही है, और चूंकि म0प्र0 शासन द्वारा अनावेदक कमांक 2 को बेदखल करने की कोशिश की गई थी, अतः उसके द्वारा व्यवहार न्यायालय में दीवानी प्रकरण कमांक 98/95 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, इन्दौर द्वारा दिनांक 15–12–95 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का अनावेदक कमांक 2 को भूमिस्वामी घोषित किया गया है, और व्यवहार न्यायालय का उक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थिर रहा है । चूंकि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है, अतः अपर कलेक्टर को इस बात को देखने का कोई अधिकार नहीं है कि अनावेदक कमांक 2 प्रश्नाधीन भूमि का मालिक है अथवा नहीं । इस प्रकार अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के प्रकरण को खोलने में गंभीर कानूनी भूल की गई है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 2 को ईनाम में दी गई थी, और संहिता के लागू होने पर संहिता की धारा 158 (1) (बी) के अंतर्गत अनावेदक कमांक 2 भूमिस्वामी हो गया है ।

(4) कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, और अवधि विधान के प्रावधान शासन पर भी लागू होते हैं । अतः स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही करने के लिए 60 दिवस की समय–सीमा निर्धारित है, जबकि अपर कलेक्टर द्वारा लगभग 3 वर्ष पश्चात स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है, जो कि अत्यधिक विलंबित होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 2007 आर.एन. 65, 71 व 77 एवं 1998 (1) एम.पी.वीकली नोट शार्ट नोट नं. 26 तथा 2002 आर.एन 452 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय होकर मंदिर की है, जिसका विक्रय करने का अधिकार विक्रेता

को नहीं था, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर कार्यवाही करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के वारिस के विद्वान अभिभाषक द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया ।

6/ अनावेदक कमांक 3 सूचना उपरांत अनुपस्थित ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदिका अंजुम द्वारा बाबूदास बैरागी से भूमि कय नहीं कर अनावेदक कमांक 3 मोहम्मद असलम से भूमि कय की गई है, और मोहम्मद असलम का नामांतरण दिनांक 10–5–2010 को ही स्वीकृत होकर उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया है । इस प्रकार चूंकि आवेदिका द्वारा बाबूदास बैरागी से भूमि कय नहीं कर प्रथम केता मोहम्मद असलम से भूमि कय की गई है, इसलिए वह सद्भाविक केता है, और चूंकि मोहम्मद असलम का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज था, इसलिए उसके द्वारा भूमि कय करने में आवेदिका की किसी प्रकार की कोई दोषी मंशा परिलक्षित नहीं होती है । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर आवेदिका का नामांतरण आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है, जबकि मोहम्मद असलम के पक्ष में हुए आदेश को निरस्त नहीं करने से वह अंतिम हो गया है, और जब तक मोहम्मद असलम का नामांतरण आदेश निरस्त नहीं होता, आवेदिका के पक्ष में पारित नामांतरण आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा की जा रही स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही विधि अनुरूप नहीं होने निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर द्वारा प्रकरण कमांक 10/स्व–निगरानी/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 28–3–2013 निरस्त किया जाकर उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही भी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर